

(30) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए नॉर्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालाजी, इटानगर अरुणाचल प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) उपर्युक्त इंस्टिट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई । (क) से (ग) के लिए देखिए संख्या एल टी 1032/99]

(31) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई । (क) से (ग) के लिए देखिए संख्या एल टी 1065/99]

(32) (क) 1998-99 के वर्ष के लिए कालिकट रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट केरल का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) उपर्युक्त कालेज के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या एल टी 1030/99]

I. Notifications of Ministry of Environment and Forests.

II. Report and Accounts (1993-94 and 1997-98) of various Forests and Plantation Development Corporation Ltd. and related papers.

III. Report and Account (1998-99) of Central Pollution Control Board, Delhi and related papers.

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : श्रीमन मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

I. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(1) राजस्थान और हरियाणा की राज्य सरकारों को शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी अधिसूचना को प्रकाशित करने वाली अधिसूचना का.आ.1189 (अ) दिनांक 29.11.1999 [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 922/99]

(2) पर्यावरण का संरक्षण उपरिमृदा संरक्षण और भूमि पर कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से निस्सारित फ्लाई एश का सन्निदोपण और व्ययन का निवारण हेतु अपयोजन को प्रकाशित करने वाली का.आ. 763 (अ) दिनांक 14.2.1999 [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या दल टी 715/99]

II. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खंड viii के पुनः चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 को प्रकाशित करने वाली पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.705 (अ) दिनांक 2.9.1999 की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 715/99]

III. (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :-

(i) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फारेस्ट एंड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्याकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई। (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या एल टी 205/99]

(ii) (क) 1993-94 के वर्ष के लिए वेस्ट बंगाल फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं

पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्याकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
[पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या एल टी 1277/99]

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिंदी में) ।

IV जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक) अधिनियम 1947 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(क) 1998-99 के वर्ष के लिए सेन्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ख) उपर्युक्त बोर्ड के काग्रकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई ।
(क) और (ख) के लिए देखिए संख्या एल टी 717/99]

I. Notifications of Ministry of Science and Technology.

II. Report and Accounts (1998-99) of various Science and Research Centres and related papers.

III. Reports and Accounts (1997-98) and (1998-99) of Technology Board and Technology Council and related papers.

IV. Report and Accounts (1998-99) of Institutes of Tropical Meterology, Geomagnetism and Himalayan Geology and related papers.

V. Reports and Accounts (1998-99) of Indian National Academy of Engineering, New Delhi and related papers.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत “बचदा”) : श्रीमन्, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :-

I. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) की धारा 23 के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-